



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63715

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 4134/2026

राम नगीना एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय त्रिपाठी, राम कुमार दूबे, शिवम तिवारी,
वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 29

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार दूबे की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात् मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में पारित दिनांक 11.12.2025 के आदेश को चुनौती दी जा रही है।
3. याचिकाकर्ता लेखा परीक्षक, जिला सामाजिक लेखा परीक्षा, समन्वयक और खंड विकास समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि 27.11.2019 से 20% मानदेय में वृद्धि के लिए कार्यकारी समिति द्वारा 24.03.2025 को एजेंडा संख्या 23 के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया है।
4. श्री प्रभाकर अवस्थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्णय के निम्नलिखित भाग पर भरोसा किया, जिसकी प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक-129 के रूप में संलग्न है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"यहाँ अवगत कराना है कि मनरेगा कर्मियों के मानदेय में शासनादेश सं0-01/2018/2086/अड़तीस-7-2018-12एल.सी./2014टी.सी., दिनांक 31.01.2028 के द्वारा 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी उसी समय जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर के तत्कालीन मानदेय क्रमशः रु.12000/- एवं रु.8000/- में मा0 कार्यकारिणी समिति की 14वीं बैठक दिनांक 27.11.2019 द्वारा केवल 20 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी थी। इस प्रकार वर्तमान में 02 योजनाओं के स्थान पर 05 योजनाओं की सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने एवं 03 दिन के स्थान पर 05 दिन का समय लगने के कारण उसी धनराशि क्रमशः रु.12000/- एवं रु.8000/- पर अवशेष 20 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया गयाः"

5. यह तर्क दिया जाता है कि इसके बाद निदेशक, सोशल ऑडिट निदेशालय/प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा राज्य सरकार को उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कुछ पत्र लिखे गए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बिना कोई कारण बताए दिनांक 11.12.2025 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.03.2026 को निदेशक, सोशल ऑडिट निदेशालय, उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर के तहत दिए गए निर्देशों को उपरोक्त निर्देशों के पैराग्राफ-12 में कहा गया है कि निदेशक, सोशल ऑडिट निदेशालय ने उपरोक्त संकल्प के कार्यान्वयन और ब्लॉक सोशल ऑडिट समन्वयक को भुगतान न किए गए मानदेय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार को दिनांक 08.05.2025 को एक पत्र लिखा था। इसके बाद, निर्देशों में आगे कहा गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत दावा उपयुक्त नहीं पाया गया था, इसलिए इसे राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है।

7. उपरोक्त निर्देशों को पढ़ने के बाद, यह पता चलता है कि याचिकाकर्तागण के दावे को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2025 के पत्र के अनुसार खारिज कर दिया गया था और जिसका संदर्भ आक्षेपित आदेश में किया गया है, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से उस पत्र की प्रति संलग्न करने के स्थान पर, दिनांक 08.08.2025 का पत्र निर्देशों के साथ संलग्न है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

9. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंततः निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह पता चलता है कि याचिकाकर्तागण को मानदेय प्रेषित करने के लिए कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पारित संकल्प पारित किया गया था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 08.05.2025 को राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसकी प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक-19 के रूप में संलग्न है। राज्य सरकार को जिन कारणों की अच्छी तरह से जानकारी है, उन्हें बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिया गया है।

11. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम मैसर्स इंदौर कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में सीए संख्या 7240/2018 में फैसला सुनाया है, जो निम्नानुसार है:

"14. वास्तव में, अपील में शामिल तथ्यात्मक और विधिक विवाद के लिए न्यायिक दिमाग के किसी भी आवेदन के अभाव में और मुद्दों पर कोई चर्चा, प्रशंसा, तर्क और स्पष्ट निष्कर्ष नहीं होने के कारण और रिट याचिका में लगाए गए निष्कर्षों को बरकरार रखा जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, जबकि प्रकरण पर लागू विधिक सिद्धांतों के आलोक में पक्षों के तर्कों से निपटते हुए, इस न्यायालय के लिए खंडपीठ के इस तरह के आदेश को बनाए रखना मुश्किल है। रिट याचिका के निस्तारण में डिवीजन बेंच द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र अभिव्यक्ति "उचित विचार पर" है। यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि वह उचित विचार क्या था जिसने डिवीजन बेंच को रिट याचिका का निपटान करने के लिए राजी किया क्योंकि हम पाते हैं कि पहले के पैरा में केवल तथ्य निर्धारित किए गए हैं।

15. बार-बार, इस न्यायालय ने न्यायालयों पर हर प्रकरण में तर्कसंगत आदेश पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें एलआईएस के पक्षकारों के प्रकरण के नंगे तथ्यों, प्रकरण में उत्पन्न होने वाले मुद्दों, पार्टियों द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियाँ, शामिल मुद्दों पर लागू विधिक सिद्धांत और प्रकरण में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण शामिल होने चाहिए और अपने निष्कर्ष के समर्थन में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिवीजन बेंच रिट याचिका का निपटान करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही। हमारे विचार में, इस तरह के आदेश ने निस्संदेह पार्टियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है क्योंकि इसने उन्हें उन कारणों को जानने से वंचित कर दिया है कि एक पार्टी क्यों जीती है और दूसरी हार गई है। हम कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के आदेश को स्वीकार



नहीं कर सकते हैं, जिसने हमें गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए मजबूर किया है।

12. बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार (2022) 4 एससीसी 497 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है: -

"32. एक अदालत द्वारा किए गए निर्णय के कारणों को प्रदान करने के कर्तव्य के पहलू पर, या उस प्रकरण के लिए, यहां तक कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण भी, क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान [क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान, (2010) 9 एससीसी 496 (2010) 3 एससीसी (सीआईवी) 852] में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा। जिसमें कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने पैरा 47 में इस बिंदु पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सिद्धांत निम्नानुसार निकाले गए हैं:

32.1. कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की सेवा करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा भी प्रतीत होना चाहिए।

32.2. कारणों की रिकॉर्डिंग भी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने अभ्यास पर एक वैध संयम के रूप में कार्य करता है।

32.3. कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की अवहेलना करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

32.4. कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं जैसे कि न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।

32.5. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनधारा है, जो इस सिद्धांत को सही ठहराती है कि तर्क न्याय की आत्मा है।



32.6. न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों न्यायाधीशों और अधिकारियों के रूप में भिन्न हो सकती है जो उन्हें वितरित करते हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो इस कारण से प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

32.7. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए कारण पर जोर देना एक आवश्यकता है।

32.8. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत के प्रति वफादार है या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

32.9. निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का दिखावा या "रबर-स्टैम्प कारणों" को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

32.10. इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर संयम की अनिवार्य शर्त पारदर्शिता है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय निर्माताओं को त्रुटियों के प्रति कम प्रवण बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है। (न्यायिक स्पष्टवादिता की रक्षा में डेविड शापिरो देखें [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37])

32.11. सभी सामान्य कानून न्यायालयों में निर्णय भविष्य के लिए मिसाल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता सार है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

13. प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, न्यायालय संतुष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है, इसे रद्द किया जा सकता है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।



14. प्रत्यर्थी संख्या 1 को विधि अनुसार एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया था, आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सबसे तेजी से और सकारात्मक रूप से।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **स्वीकृत** की जाती है।

16. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस आदेश की प्रति दिनांक 30.03.2026 तक राज्य सरकार को सूचित करेंगे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

26 मार्च, 2026

स्वाति